



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-3741-औ०सं०-17/पाकालि-2019-11(4)एफ/86(वाल्सूम-11)

दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा को विशेष परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०-2494-औ०सं०/2019-11(4)एफ/86 (वाल्सूम-11) दिनांक 19.07.2019 के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा को एतद्वारा निम्नवत् शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

1. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा कार्यालय ज्ञाप संख्या-2405 दिनांक 30.07.2014 में दी गई व्यवस्थानुसार 06 माह के अन्दर बीजक प्रस्तुत किए जाने एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-2759-औ०सं०/2014 दिनांक 14.08.2014 में वाह्य रोगी के रूप में करायी गयी लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के बीजक चिकित्सक द्वारा लिखे गये प्रिस्क्रिप्शन के दिनांक से अधिकतम 06 माह के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय/इकाई में प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता तथा कार्यालय ज्ञाप सं०-3330-औ०सं०/18-11(28)ए०एस०/2004(VOL-2015/CGHS) दिनांक 08.8.2018 के बिन्दु 09 एवं 10 पर दी गई व्यवस्था को संशोधित कर एक वर्ष किया जाता है तथा इस अवधि के बाद एक वर्ष तक शिथिलता प्रदान करने हेतु अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को अधिकृत किया जाता है।
2. 02 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर शिथिलता प्रदान किए जाने हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल एवं डिस्काम से सम्बन्धित प्रकरणों में डिस्काम के निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-3741-औ०सं०-17/पाकालि-2019/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 6- निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध)/(आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 9- मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 11- महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 13- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 14- कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 15- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 16- महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 17- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 18- कट फाइल।

Naf Mathur
(नवनीत माथुर) 25-10-19

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी